दिनांक 11–12 जुलाई, 2018 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

---

1. **उपस्थितिः–संलग्न।**

समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अचूक रूप से भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपस्थिति की स्थिति की पूर्व सूचना निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया। अगली बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों का संबंधित तिथि का वेतन अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां० पदा०।

2. पिछले समीक्षात्मक बैठक के कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन तथा सभी प्रकार के प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 8 तारीख तक निदेशालय को निश्चित रूप से लभ्य कराने तथा समीक्षा माह के पूर्व के सभी लंबित प्रतिवेदनों को दिनांक–02.08.2018 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रशाखा निदेशालय एवं प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०।

3. सभी पदाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं गुरूवार को क्षेत्र में रहकर सांख्यिकी संबंधित सभी कार्यो का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु निदेश दिये गये। इसकी सूचना निदेशालय के सभी शाखाओं को भी निदेश दिया गया कि अचूक रूप से 9वीं तारीख तक समेकित विवरणी बनाकर योजना शाखा को उपलब्ध करावें।

अनुपालनः– सभी प्रशाखा निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०।

4. समीक्षा के क्रम में सभी तकनिकी कार्यो में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण का अद्यतन स्थिति खराब पायी गयी। इस संबंध में निदेशालय के सभी प्रशाखाओं के पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला सांख्यिकी कार्यालय, सारण से सभी प्रकार के लंबित प्रतिवेदनों को समेकित कर स्थापना शाखा को लभ्य कराया जाय, ताकि उनपर तत्संबंधी कार्रवाई की जा सके।

अनुपालनः– अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के सभी प्रशाखा।

5. <u>स्थापना</u> :–

(i) जिस प्रमंडलीय उप निदेशक कार्यालय एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय में कर्मियों का पदस्थापन शून्य है उस कार्यालय में कर्मी के पदस्थापन पर विचार करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– स्थापना शाखा निदेशालय ।

(ii) सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय में सेवा निवृत कर्मियों जिनका ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. लंबित है की सूची शीघ्रताशीघ्र निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०।

(iv)सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कार्यालय एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय से विहित प्रपत्र में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्ष 2017–18 का वार्षिक कार्य–ब्योरा प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)/सभी जिला सां० पदा०।

(v) प्रोन्नति एवं ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. के समीक्षा के क्रम में वैसे पदाधिकारी/कर्मीजिन पर दण्ड या कार्यवाही निर्धारित की गयी है उनके सेवापुस्त में अंकित करने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)/सभी जिला सां० पदा०।

6. **बजट** :–

(i) वित्तीय वर्ष 2017–18 में शीर्षवार आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय एवं प्रत्यार्पण की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) उपशीर्ष, जिसके अन्तर्गत वेतन आदि का भुगतान किया जाता है, में बहुत से जिलों के द्वारा वेतन आदि के अलावे यात्रा भत्ता, वाहन इंधन एवं कार्यालय व्यय मद में काफी राशि प्रत्यार्पित कर दी गई, जबकि कई जिलों में राशि के अभाव में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जा सका। उक्त निदेश के बावजूद क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह अप्रैल एवं मई के व्यय विवरणी से स्पष्ट है कि कई कार्यालयों के द्वारा मार्च एवं अप्रैल के वेतन आदि का भुगतान/निकासी नहीं किया गया।

निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के वेतन आदि का भुगतान नियत समय पर नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त कार्यालय में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक से प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं भ्रमण दैनन्दिनी प्राप्त कर नियमानुसार देय यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान सुनिश्चित करें।

अनुपालन–सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०।

(ii)

क. वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं इसके पूर्व में निकासी की गई राशि जिसका व्यय/वितरण दिनांक– 31.03.2018 तक संभव नहीं हो सका है तो इस राशि को संबंधित जमा शीर्ष/समेकित निधि में जमा करने संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा कर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, रब्बी मौसम के लिए सहायक अनुदान गैर वेतन मद में निकासी की गयी राशि को छोड़कर शेष राशि जमा शीर्ष में जमा करने का निदेश दिया गया था। इससे संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन एवं अद्यतन संधारित रोकड़ पंजी के अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक निदेशालय के लेखा शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ख. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि आर्थिक गणना एवं लघु सिंचाई गणना मद की जो राशि निकासी कर बैंक खातों में रखी गयी थी एवं जिसका व्यय 31.03.2018 तक संभव नहीं होने के कारण संबंधित जमा शीर्ष/समेकित निधि में जमा कर दी गयी है इससे संबंधित प्रतिवेदन ट्रेजरी चालान की सत्यापित प्रति के साथ एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध करावें।

अनुपालन– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०।

(iii) वित्तीय वर्ष 2018–19 के मासिक व्यय विवरणी की समीक्षा में पाया गया कि माह जून–18 का मासिक व्यय–विवरणी DSO, रोहतास, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, प०चम्पारण, वैशाली, शेखपुरा एवं सारण से अप्राप्त है जिसे दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरणी T.V No. एवं तिथि के साथ अगली माह की 8वीं तारीख तक उपलब्ध नहीं कराने वाले आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अनुपालन–संबंधित प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सां०पदा० एवं बजट शाखा, निदेशालय ।

(iv) लंबित AC/DC विपत्र की समीक्षा में पाया गया कि सिर्फ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना के यहाँ AC विपत्रों के विरूद्ध समर्पित DC विपत्र असमायोजित है जिसका समायोजन यथाशीघ्र करवाने का निदेश दिया गया। AC विपत्र के संबंध में यह भी निदेश दिया गया कि अगर उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से संबंधित नहीं है तो इसका सत्यापन कोषागार से करा लें।

अनुपालनः–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना।

(v) निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विगत वर्षो में समर्पित DC विपत्रों से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्तियों के निराकरण हेतु माहालेखाकार कार्यालय के भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग द्वारा आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों को प्रेषित पत्र का अनुपालन यथाशीघ्र करने का निदेश दिया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, किशनगंज, सुपौल, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं शेखपुरा से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्ति से संबंधी पत्र जो महालेखाकार कार्यालय द्वारा निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी है के आलोक में विगत पाँच वर्षो से लंबित आपत्तियों का निराकरण यथाशीघ्र करते हुए उसका अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को प्रेषित कर उसकी प्रति निदेशालय को भी उपलब्ध करायेगें। साथ ही निदेश दिया गया कि यदि प्रेषित लेखा परीक्षा आपत्ति आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र कोषागार से प्राप्त कर उसकी प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं बजट शाखा।

(vi) लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी मुधुबनी, वैशाली एवं औरंगाबाद के लंबित अंकेक्षण आपत्तियों का अध्ययन कर निदेशालय स्तर पर उसके अनुवपालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को मार्गदर्शन एवं निदेश दिया गया। साथ ही एक पक्ष के अन्दर लंबित कंडिकाओं पर अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं बजट शाखा।

(vii) छठी आर्थिक गणना में लभ्य करायी गयी राशि में से अव्यवहृत राशि को जमा करने का निदेश दिया गया था। यदि उक्त राशि जमा कर दी गयी हो तो उसके टेजरी चालान की छाया प्रति लभ्य कराने का निदेश दिया गया तथा प्रत्यार्पित राशि का मदवार विवरण ई–मेल के माध्यम से दो दिन के अन्दर भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं आर्थिक गणना प्रशाखा।

(viii) सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) एवं सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अपने कार्यालय में 30.06.18 तक का कैशबुक अद्यतन कर रोकड़पंजी के अंतिम पृष्ठ एवं बैंक पासबुक के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छायाप्रति प्रत्येक माह में नियमित रूप से निदेशालय के लेखा शाखा को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं लेखा प्रशाखा।

7. <u>कृषि</u>:–

(ii)समान्य जिंसवार:– भदई जिंसवार बांका एवं अररिया जिलें से लंबित है। अगहनी जिंसवार जमुई, बांका एवं अररिया जिलों से लंबित है। जबकि रब्बी जिंसवार अरवल, प0 चम्पारण, शेखपुरा, जमुई, बांका, पटना, बक्सर, सुपौल एवं अररिया जिलों से लंबित है। गरमा जिंसवार अरवल, दरभंगा, लखीसराय एवं रोहतास जिलें से अब तक प्राप्त हुए है। लबित प्रतिवेदनों को शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iii)प्रक्षेत्र मुल्य:– यह प्रतिवेदन भदई मौसम का जहानाबाद, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, जमुई, भागलपुर, बांका, सुपौल, पूर्णियॉ, अररिया एवं कटिहार अगहनी मौसम का जहानाबाद, अरवल, नवादा, जमुई, खगड़ियॉ, बांका, सुपौल एवं अररिया रब्बी मौसम का अरवल, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, बेगुसराय, खगड़ियॉ, बांका, बक्सर, भभूआ, प0 चम्पारण, सीतामढ़ी, सुपौल, पूर्णियॉ, अररिया एवं कटिहार से अबतक अप्राप्त है। गरमा मौसम का जहानाबाद, अरवल, समस्तीपुर, किशनगंज से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। लंबित प्रतिवेदनों का शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iv) गरमा द्रुत जिंसवारः– यह प्रतिवेदन पटना, बक्सर, प0 चम्पारण, शिवहर, सहरसा, सुपौल, पूर्णियॉ, अररिया, गया, जहानाबाद, नवादा, सीवान, दरभंगा, जमुई, बेगुसराय, भागलपुर एवं बांका से अब तक अप्राप्त है। लंबित प्रतिवेदनों का शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(v) फसल सांख्यिकी सुधार योजना अन्तर्गत लंबित जिलों को रब्बी 1.1, 1.0 गेहूँ 2.0 चना 2.0 राई/सरसों 2.0 अरहर 2.0 एवं गरमा 1.0 एवं 1.1 प्रतिवेदन एक सप्ताह में भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(vi) राज्य में कृषि वर्ष 2018–19 में "बिहार राज्य फसल सहायता योजना" लागू है। खरीफ 2018–19 के लिए अगहनी धान एवं भदई मकई को इस योजना के तहत अधिसूचित किया गया है। इन फसलों का पंचायत स्तरीय फसल कटनी प्रयोग आयोजित किया जाना है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गयी साथ ही भदई मकई का पंचायत स्तरीय आयोजन सूची तैयार कर आयोजन सूची शीघ्र निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

8. <u>वर्षापातः</u>–

(i) वर्षापात के आंकड़ों को Web-Portal पर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वाहन तक लोड करने का निदेश दिया गया। प्रतिदिन वर्षापात के आंकड़ों से निदेशक महोदय को अवगत कराया जाना है।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/निदेशालय।

(ii) सभी अधिष्ठापित वर्षामापक यंत्र के स्थल की साफ–सफाई के उपरान्त संबंधित स्थान का फोटो खींचकर तीन दिनों के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iii) पूर्व में उपलब्ध करायी गयी सुरक्षित वर्षामापक यंत्र एवं Measuring glass की समीक्षा की गयी। सुरक्षित वर्षामापक यंत्र एवं Measuring glass की अद्यतन स्थिति एवं व्यवहृत किये गये यंत्रों का उपयोगिता प्रमाण पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया। आवश्यकतानुसार सुरक्षित वर्षामापक यंत्र एवं Measuring glass की मांग करने का भी निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं निदेशालय।

(iv) प्रत्येक पंचायत में वर्षामापक यंत्र का अधिष्ठापन किया जाना है। इस संबंध में प्रत्येक पंचायत के सरकारी भवनों यथा स्कूल/पंचायत भवन/पंचायत सरकार भवन के छत पर अधिष्ठापित किया जाय। IMD के मानक शर्त्तों के आलोक में नजरी नक्शा सहित स्थान को चिन्हित् कर इसकी सूचना एक सप्ताह में निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

9. <u>रान्यासः</u>–

(i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75वें सत्र के चतुर्थ उपसत्र में माह– जून 2018 तक के कार्यो की समीक्षा की गयी। प्रत्येक माह के सर्वेक्षित प्रतिदर्शो की भरी हुई अनुसूचियॉ निदेशालय को अनुवर्ती माह के 7वीं तारीख तक लभ्य कराया जाना है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह– जून 2018 तक सर्वेक्षित प्रतिदर्शो की भरी हुई अनुसूचियाँ नालंदा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, पूर्णियॉ, भागलपुर, सारण, दरभंगा एवं बेगुसराय से लंबित हैं। भरी हुई अनुसूचियों को दिनांक 19.07.18 तक निश्चित रूप से लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ii) सर्वेक्षित प्रतिदर्शो की भरी हुई अनुसूचियों के प्राप्ति की समीक्षा के क्रम में जिला सांख्यिकी कार्यालय, सारण की स्थिति अत्यन्त गंभीर पायी गयी। इस संबंध में लापरवाही बरतने के दोषी अन्वेषक के निलंबित करने संबंधी कार्रवाई करने का निदेश निदेशालय स्थित रान्यास प्रशाखा एवं स्थापना शाखा को दिया गया।

अनुपालनः– रान्यास/स्थापना शाखा निदेशालय

(iv) समीक्षा के क्रम में क्षेत्रीय निरीक्षण की स्थिति दयनीय पायी गयी। इस संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन के खंड–4 में निरीक्षण के क्रम में पायी गयी त्रुटियों एवं उसके निराकरण कर निदेशालय को ससमय लभ्य कराने का विशेष रूप से निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/जिला सां० पदाधिकारी।

10. लघु सिंचाई गणनाः–

(i) छठी लघु सिंचाई गणना के कार्यान्वयन हेतु प्रगणकों की सूची तैयार करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

11. जीवनांकः–

(i) **जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधित मासिक प्रतिवेदनः–** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में लभ्य कराना सुनिश्चित करें। माह जून का मासिक प्रतिवेदन नालंदा से प्राप्त नहीं रहने पर असंतोष व्यक्त किया गया।

अनुपालनः सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ii) **प्रतिवेदन प्रेषण का स्तरः–** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला अन्तर्गत सभी जन्म–मृत्यु निबंधन इकाईयों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन लभ्य कराना सुनिश्चित कराया जाय।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ।

(iii). **जन्म रजिस्ट्रीकरण उपलब्धिः–** जन्म रजिस्ट्रीकरण उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त किया गया। माह–जून 2018 तक वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 50 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त किया जाना था। जुलाई माह तक 58 प्रतिशत की उपलब्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है परंतु समीक्षा के क्रम में वैसे जिलें जिनका प्रतिशत उपलब्धि 30 प्रतिशत से कम है उन्हें अगलें माह तक 40 प्रतिशत एवं जिनका प्रतिशत उपलब्धि 30–40 प्रतिशत के बीच है उन्हें अगलें माह तक 50 प्रतिशत उपलब्धि निश्चित रूप से प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iv). समीक्षा के क्रम में बांका एवं सारण जिलों में पंचायत स्तर के रजिस्ट्रीकरण ईकाइयो में सी.आर.एस. पोर्टल के माध्यम से अबतक ऑन–लाईन रजिस्ट्रीकरण प्रारंभ नहीं किये जाने पर खेद प्रकट किया गया। साथ ही निदेशित किया गया कि सभी रजिस्ट्रीकरण ईकाईयों में शीघ्र सी.आर.एस. पोर्टल के माध्यम से ऑन–लाईन रजिस्ट्रीकरण कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः–जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बांका एवं सारण।

(v) स्वास्थ्य संस्थानों में घटित जन्म–मृत्यु के घटनाओं एवं उनके रजिस्ट्रीकरण में पाये जा रहे अंतर से जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को अवगत कराया गया तथा अंतर को शीघ्र समाप्त करने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(vi) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण इकाईयों का निर्धारित निरीक्षण प्रतिवेदन के विरूद्ध प्राप्ति की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है। प्रत्येक माह में निर्धारित संख्या के अनुरूप निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(vii) **नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्सः–** नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स असम से प्राप्त जीवनांक अभिलेखों का सत्यापन प्रतिवेदन अभी भी 832 की संख्या में विभिन्न जिलों में लम्बित है जिसमे पटना, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, बेगुसराय, सीवान, गोपालगंज एवं कटिहार मुख्य है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को 15 दिनों में सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(viii) **धारा 4(4):–** जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जिला सांख्यिकी कार्यालय का वार्षिक कार्यान्वयन प्रतिवेदन, वर्ष 2017 का 31 जिलों से प्राप्त है। इसकी प्राप्ति की तिथि निदेशालय में फरवरी 2018 तक थी परन्तु 7 जिलों यथा पटना, नवादा, शिवहर, बेगुसराय, सुपौल, पूर्णियॉ एवं अररिया से अभी प्रतिवेदन अप्राप्त है। यह स्थिति चिंताजनक है संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि उक्त प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ix). **टॉस्क फोर्सः–** सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय टॉस्क फोर्स की नियमित रूप से बैठक करते हुए बैठक की कार्यवाही निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(x) MCCD **त्रैमासिक प्रतिवेदनः–** यह प्रतिवेदन 5 जिलों के छः मेडिकल कॉलेज एवं सभी जिला के सदर अस्पताल से प्राप्त होती है। वर्ष 2017 में मात्र भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर से त्रैमासिक प्रतिवेदन प्राप्त है।

पटना से दो त्रैमासिक प्रतिवेदन, दरभंगा से एक त्रैमासिक प्रतिवेदन एवं गया से एक त्रैमासिक प्रतिवेदन लंबित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सात दिनों के अन्दर लम्बित वांछित प्रतिवेदन मेडिकल कॉलेज एवं सदर अस्पतालों से प्राप्त कर लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

साथ ही निदेश दिया गया कि वर्ष 2018 से सभी सदर अस्पतालों से भी MCCD त्रैमासिक प्रतिवेदन निश्चित रूप से लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(xi) MCCD **प्रशिक्षण का उपयोगिता प्रमाण–पत्रः–** वर्ष 2012–2013 के MCCD प्रशिक्षण का उपयोगिता प्रमाण–पत्र दरभंगा एवं मुंगेर से लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण–पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

वर्ष 2013–2014 के MCCD प्रशिक्षण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज एवं मुंगेर से लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण–पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया। वर्ष 2014–2015 का MCCD प्रशिक्षण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र सहरसा एवं पश्चिम चम्पारण से लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण–पत्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

वर्ष 2015–2016 के MCCD प्रशिक्षण से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र पटना, मुंगेर, बांका एवं सहरसा से लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण–पत्र एक सप्ताह के अन्दर लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(xii) **SSS प्रशिक्षण का उपयोगिता प्रमाण–पत्रः–** **नवादा, पटना, नालंदा, पश्चिम चम्पारण,** सहरसा एवं अररिया से वर्ष 2017–18 में प्रशिक्षण मद में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र लम्बित है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(xiii) .**मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम संबंधित प्रतिवेदनः–** जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम ससमय लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(xiv). कार्यपालक सहायक के लिए दिये गये मानदेय की राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र तीन दिनों के अन्दर लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(xv) पी.एम.ओ./सी.एम.ओ. .पोर्टल पर प्राप्त जन्म, मृत्यु एवं शिकायत संबंधित जॉच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

12. साधन सांख्यिकी एवं आवास सांख्यिकी :–

(i) साधन सांख्यिकी का प्रतिवेदन सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) के वित्तीय वर्ष 2016–17 का लेखा विवरणी (आय एवं व्यय) विहित प्रपत्र में मात्र मधुबनी जिला के पंडौल प्रखण्ड के छः पंचायतों, जिला सिवान के प्रखण्ड सिवान सदर, गुठनी, जीरादेई एवं बड़हरियां जिला बांका से नगर परिषद् बांका एवं नगर पंचायत अमरपुरा से प्राप्त एवं शेष सभी जिलों से पूर्ण प्रतिवदेन अप्राप्त है। संबंधित सभी जिलों को पूर्ण प्रतिवेदन लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ii) साधन सांख्यिकी अन्तर्गत सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) की अद्यतन सूची आधार वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षण हेतु विहित प्रपत्र में गया, खगड़िया, सारण, वैशाली, भागलपुर, सहरसा एवं मधुबनी से तथा आंशिक रूप से पटना, लखीसराय एवं गोपालगंज से प्राप्त है। शेष जिलों को पूर्णरूपेण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iii) राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण) अन्तर्गत चयनित कुल 12 शहरों के संबंधित जिलों से उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की गयी थी। परंतु पटना, भोजपुर, मुंगेर, दरभंगा एवं सारण से अप्राप्त है। संबंधित जिलों को प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(iv) आवास एवं भवन निर्माण से संबंधित प्रतिवेदन ऑन–लाईन लभ्य कराने हेतु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, कटिहार, सारण, पटना एवं दरभंगा को बार–बार स्मारित करने के बावजूद भी फलाफल यथावत है। संबंधित जिलों को प्रतिवेदन शीघ्रताशीघ्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

13. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एवं कृषि पदार्थो का थोक मूल्य :–

(i) कृषि पदार्थो का थोक मूल्य प्रत्येक सप्ताह में निश्चित रूप से निदेशालय को लभ्य कराने हेतु सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

(ii) औद्यौगिक उत्पादन सूचकांक से संबंधित लंबित प्रतिवेदन निदेशालय को शीघ्रताशीघ्र लभ्य कराने हेतु सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

अनुपालनः संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक–323 दिनांक–21.06.2018 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को प्रत्येक बुधवार एवं वृहस्पतिवार को क्षेत्र भ्रमण पर रहने एवं इससे संबंधित भ्रमण कार्यक्रम, भ्रमण दैनन्दिनी एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अचूक रूप से प्रत्येक सोमवार को निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही **सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०) एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह के 8वीं तिथि तक सभी लंबित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में निदेशालय के सभी उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी से अनुरोध है कि प्रत्येक माह के 9वीं तारीख तक प्राप्त/अप्राप्त प्रतिवेदनों की सूचना उपलब्ध करोंयेगे।**

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

निदेशक।

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 07/2016/825/पटना, दिनांकः– 24.07.18

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरीय संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)–1 एवं 2/सभी प्रशाखा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रभारी निदेशक कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

निदेशक

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 07/2016/825/पटना, दिनांकः– 24.07.18

प्रतिलिपिः– श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, ~~कनीय~~ सहायक सांख्यिकी ~~सहायक~~ पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांगा, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को ई–मेल द्वारा प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई.टी. मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक